

# BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, UTTAR PRADESH

## EXTENSION OF AFFILIATION FOR EXISTING INSTITUTIONS, SESSION 2023-2024

### INSTITUTE INFORMATION

Status: Approved

### Institute's Information

Institute Code\*

2941

Name of Institution\*

SANJEEV COLLEGE OF PHARMACY

Type\*

PH

Group\*

1001

Zone\*

West

Establishment Year\*

2007

Principal Name\*

Dr. Jagpreet Kaur

Mobile\*

9718779708

Institute Type\*

Pharmacy

PCI Permanent ID\*

PCI-0873

PDF file (PCI BDA 2023-24)\* [View](#)

Upload PDF file (PCI BDA 2023-24) (MAX  
size: 10MB)

No file chosen

### Course Details With Intake

Sl.	Name of Course	Sanction Intake (2023-2024)	Sanction Intake (2022-2023)	Remarks
1.	DIPLOMA IN PHARMACY—214	60	60	No change

Copyrights © 2022-2020 All Rights Reserved.

  
Principal  
Sanjeev College of Pharmacy  
Sanjeev  
Gautam Nagar, Lucknow

**कार्यालय,****अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

सम्बद्धता दिनांक: 12-09-2023

**:कार्यालय आप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 5<sup>थ</sup> प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 3<sup>रा</sup> प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1941-SANJAY COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-3050/अ/2022 टी/सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की ओर के विद्युत ज्ञानमयी न्यायालय में घोषित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, अवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमवली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पढाये होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3040, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, 3040 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 3040 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बंध्यकारी है।
- ✓ यदि शासन का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध नौटिके/आद 2023 किया जाता है तथा साथ ही वरिष्ठ के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रादायित्व संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्वॉटिंगिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मसी क्वॉटिंगिंग और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्मित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त बालाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्ट्रार के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परनायित/संघकित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवन, पन्नीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमोंद्वारा, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की भाग पर अपने कर्मचारियों, भवन और कर्मियों को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के जीवन स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निवृत्तानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्रा)

सचिव

पृष्ठसं0- प्राधि/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिरिफि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SANJAY COLLEGE OF PHARMACY



Principal  
Sanjay College of Pharmacy  
Sector - 10, Gurgaon  
Haryana - 122002  
Ph: 01299-233333



(अजीत कुमार मिश्रा)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/10484

लखनऊ: दिनांक: 24/11/2022

कार्यालय आदेश:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 24/11/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य भद्रों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्योग अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1941-SANJAY COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली-1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय द्वितीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाते आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनता दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ शासनां उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०,

  
Principal

Sanjay College of Pharmacy  
Mathura Delhi Road, PIN-2  
Chauhan Mathura-281406 (J.P.)

समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कक्षाएं एवं विषयों, भागों, आवेदों एवं निदेशों का प्रालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो उस संस्था में समस्त उल्लेखित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कर्गोभाही के लिए संस्था का उल्लेख नहीं होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई आदेश द्वारा किया जाता है तथा दाखल याद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निरस्त किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को सशुद्ध प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित ऑनलाइन परीक्षा होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (ऑनलाइन) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समस्त पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-सज्जा, उपकरण, पाया किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु विरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

प०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/10485-10493

दिनांक: 24/11/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SANJAY COLLEGE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव



Principal

Sanjay College of Pharmacy

Mathura Delhi Road, Mathura

U.P. - 281405 (U.P.)

काशीनग

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

काशीनग आष

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कावरी की वाचस्पित आंक हण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैशिक सं. 2021-22 की दिनांक 2021-22 की शिक्षण संस्थाओं को प्रमाणित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद काशीनग में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व में संपादित संपादकों के सम्बद्धता विस्तार, वाचस्पित, प्रवेश समता सूचि सहित अन्य नवीन पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सं. 2021-22 हेतु सित्सांकित करने के अर्थन वाचस्पित एवं इसी अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का सौंदा नाम: 1941-SANJAY COLLEGE OF PHARMACY, CHAHUMAN, CHATA, MATHURA

संस्था	वाचस्पित का नाम	सं. 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश समता
	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संस्था हेतु सूचि

- ✓ संस्था 1941-SANJAY COLLEGE OF PHARMACY, CHAHUMAN, CHATA, MATHURA द्वारा स्थापित की गयी गरी दर्ती सं. पूर्णतः फलन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश वाचस्पित शिक्षा परिषद अंक 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर (उत्तरप्रदेशवली) 2010 तथा अन्य निर्मित विषयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रवेश हेतु प्रवेशकों हेतु सं. 20150/001-प्रवेश, दो वर्षीय फार्मेसी वाचस्पित हेतु सं. 25000/001-प्रवेश एवं सं. 20150/001-प्रवेश, दो वर्षीय वाचस्पित (दो वर्षीय फार्मेसी वाचस्पित के अंतर्गत) हेतु सं. 22900/001-प्रवेश शुल्क ही प्रत्येक आदेशों में प्राप्त किया जाएगा। अंतर्गत के अंतर्गत वाचस्पितों में शुल्क के सम्बन्ध में समत समत पर शासन द्वारा निर्देश किए जाने वाले वाचस्पित प्रवासी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचारण किया जाता है, तो प्रवेश की समत समत दरे जायु होगी।
- ✓ संस्था में 10090 प्राविधिक शिक्षा समितिवाचस्पित 30 समितियां संस्थाओं को सम्बद्धता सिद्ध करना विनियमवली-2000 की अंतर्गत अनुपालन करेगा होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश करेगा परिषद द्वारा आवेदित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। सं. के रिक्त सं. जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही करे जायेगी।
- ✓ संस्था में समत समत पर निर्मित वाचस्पितों में अनुसूचित विद्यार्थी एवं सम्बद्धता शुल्क प्रवेश अनुसूचित होगा।
- ✓ संस्था में वाचस्पित प्रवेशकों के अंतर्गत प्रवेश हेतु अनुसूचित प्रवेश किया जाना अनुसूचित प्रवेश।

Principal  
Sanjay College of Pharmacy  
Mathura Gola Road, NH#2  
Chahuman (Mathura-281406 (U.P.))

Sanjay College of Pharmacy  
Mathura Gola Road, NH#2  
Chahuman Mathura-281406 (U.P.)

संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने एवं विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उज्जैन तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ विद्योमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इन संस्था से सम्बन्धित उल्लेखित संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन को कोई बट टायर किया जाता है तथा टायर बट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित संबंधित संस्था जो करनी होगी।
- ✓ विद्योमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्ष्मण द्वारा प्रायिक रूप के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीपीपीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद काकोबद को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रोगी रोबो के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित संबंधित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्य एवं अतिरिक्त भूमि-भवन, पार्किंग, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण टॉगल यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या एम्पाई/ऑटो/टी/ई/पी/सी/आई/ओ/पी/रिपोर्ट के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने आर्थिक हार्ज का उल्लेख किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

फ़ोन- प्राविधिक परिषद सम्बन्धित 2021/3538-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्राविधिक

प्रधान कार्य निदेशक, SANJAY COLLEGE OF PHARMACY, CHAHUMAN, CHATA, MATHURA

  
Principal  
Sanjay College of Pharmacy  
Mathura Delhi Road, NH2  
Chahuman Mathura-281406 (U.P.)

  
(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव